रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1817] नई दिल्ली, सोमवार, मई 21, 2018/वैशाख 31, 1940
No. 1817] NEW DELHI, MONDAY, MAY 21, 2018/VAISAKHA 31, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई, 2018

का.आ. 2010(अ).—यतः केंद्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 910(अ), तारीख 21.04.2010 के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 03 के 103.000 कि.मी. से 610.000 कि.मी. (इन्दौर बाइपास से होकर ग्वालियर-देवास-राऊ सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) को सौंपा है;

और यतः, प्राधिकरण ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में, मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर शिवपुरी-गुना सेक्शन के 236.000 कि.मी. से 332.100 कि.मी. तक (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त सेक्शन " कहा गया है) के विकास हेतु 27.03.2015 को प्रस्तुत बोली के लिए डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और हस्तांतरण बीओटी(टोल) आधार पर मैसेर्स इरकॉन शिवपुरी-गुना टोलवे लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली – 110017 में है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "रियायतग्राही" कहा गया है), के साथ 15.06.2015 को करार (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त करार कहा गया है) किया है,

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, जिसे सा.का.नि. 838 (अ), तारीख 5 दिसम्बर 2008 के द्वारा प्रकाशित किया गया था और जिसे सा.का.नि. 950 (अ), तारीख 3 दिसम्बर, 2010, सा.का.नि. 15 (अ), तारीख 12 जनवरी, 2011, सा.का.नि. 756 (अ), तारीख 12 अक्तूबर, 2011, सा.का.नि. 778 (अ), तारीख 16 दिसम्बर, 2013, सा.का.नि. 26 (अ), तारीख

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
20514
प्राप्ति क्र.
प्राप्ति दि. 23/5/18

16 जनवरी, 2014, और सा.का.नि. 831 (अ), तारीख 21 नवम्बर, 2014, द्वारा संशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 की धारा 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956(1956 का 48) की धारा 8 ए के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खंड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन में निहित व्यय, निवेशित पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात का दवाब तथा प्राधिकरण एवं रियायतग्राही के बीच हुए उक्त करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए एतदद्वारा अधिसूचित करती है कि यांत्रिक वाहनों से सारिणी (1) के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" कहा गया है) पर उक्त सेक्शन के चार या अधिक लेन के उपयोग के लिए नीचे सारिणी 1 में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर शुल्क उदग्रहीत और संग्रहीत किया जाएगा एवं उक्त रियायतग्राही को वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से अथवा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, जो भी बाद में हो, करार में यथाविनिर्दिष्ट समापन की तारीख तक शुल्क को संग्रहीत और प्रतिधारित करने हेतु प्राधिकृत करती है;

सारिणी 1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रूपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (भा.सं.म.) या अर्थ मूर्विंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.वा.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकर वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उदग्रहीत और संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित टोल प्लाजा पर उपर्युक्त सारणी-1 में उल्लिखित आधार पर ऐसे प्रत्येक टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दष्ट दूरी हेतु शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाज़ा (प्लाजाओं) का अवस्थान (डिज़ाइन चेनेज)	लंबाई (किलोमीटर में) इसके लिए शुल्क संदेय है		दर जिस पर शुल्क संदेय है
	वर्तमान में(गुना बाइपास के टोलिंग के लिए, समापन प्रमाणपत्र जारी होने तक)	विकसित सेक्शन * के 4 लेन बनने के पश्चात् (गुना बाइपास के टोलिंग के लिए, समापन प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख से)	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
22.930 कि.मी. (विद्यमान 258.000 किमी) पर शिवपुरी जिले में पूरणखेड़ी गांव के निकट	72.210 (बाइपासों की लंबाई को छोड़कर)	84.600 (बाइपासों की लंबाई को छोड़कर)	

* "विकसित सेक्शन" को 4 लेन का बनाने के पश्चात् अर्थात रारा-3 के विद्यमान 2 लेन गुना बाइपास सेक्शन के 319.700 किमी. से 332.100 किमी. तक(डिज़ाइन चेनेज 85.310 किमी. से 97.700 किमी.) को उक्त करार के प्रावधानों के अनुसार 4 लेन का बनाना।

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाइपास (बाइपासों) के उपयोग के लिए निम्नलिखित टोल प्लाजा पर, ऐसे टोल प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास (बाइपासों) की लंबाई हेतु उपर्युक्त सारिणी-1 में उल्लिखित आधार दर के डेढ़ गुना की दर पर, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगाः

टोल प्लाज़ा (प्लाजाओं) का अवस्थान (डिज़ाइन चेनेज)	डिज़ाइन चेनेज		बाइपास की लंबाई (किलोमीटर में) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है		दर जिस पर शुल्क संदेय है
	से शुरू होकर	पर समाप्त			
22.930 कि.मी.(विद्यमान 258.000 किमी.) शिवपुरी जिले में पूरणखेड़ी गांव के निकट	13.300 (विद्यमान 249.400 किमी.)	19.200 (विद्यमान 254.200 किमी.)	5.900	कोलरास बाइपास	ऊपर सारिणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
	28.150 (विद्यमान 263.300 किमी.)	30.950 (विद्यमान 265.600 किमी.)	2.800	लुकवास बाइपास	
	42.900 (विद्यमान 277.600 किमी.)	47.300 (विद्यमान 281.800 किमी.)	4.400	बदरवास बाइपास	
		कुल	**13.100**		

3. स्थानीय निजी यातायात हेतु वर्ष 2018-19 के लिए मासिक पास की दर 255.00/- रूपए (दो सौ पचपन रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चैबीस घंटे
पचास और उससे अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास या उससे अधिक	संदाय की तारीख से एक मास

5. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

6. जो यांत्रिक वाहन नियमों के अधीन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा और उसे टोल प्लाज़ा पार करने के लिए राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा नहीं दिया जाता। उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के यांत्रिक वाहनों के लिए नियमों के अधीन लागू शुल्क के दस गुना के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा।

7. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।

8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

9. ऊपर सारणी-1 और 2 में यथा – उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों के लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। प्राधिकरण द्वारा उसे रियायतग्राही के माध्यम से अंग्रेज़ी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया जाएगा और इसके तत्पश्चात् उक्त नियमों के नियम 5 और रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार उसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा और प्रकाशित करवाया जाएगा, परंतु शर्त यह है कि शुल्क में पिछली बार किए गए संशोधन कि तारीख से 6 (छ) महीने की अवधि के भीतर कोई संशोधन नही किया जाएगा।

[फा.सं. भाराराप्रा/13013/481/12-13/सीएमडी-सीओ/जीसी-शिवपुरी–गुना सेक्शन/बीओटी(टोल)]

दक्षिता दास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th May, 2018

S.O. 2010(E).—Whereas by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 910 (E), dated 21.04.2010 issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 103.000 to kilometer 610.000 (Gwalior-Dewas-Rau via Indore Bypass section) of National Highway No. 3 in the State of Madhya Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, pursuant to the provision of Section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an agreement on 15.06.2015 (hereinafter referred to as "said agreement") with M/s IRCON Shivpuri-Guna Tollway Limited having its registered office at C-4, District Centre, Saket, New Delhi-110017 (hereinafter referred to as the "Concessionaire") for the bid submitted on 27.03.2015 for the development of Shivpuri-Guna Section from km. 236.000 to km. 332.100 on National Highway No. 3 (hereinafter referred to as the "said section") to four lane standards as BOT (Toll) on Design, Build, Finance, Operate and Transfer basis;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R. 838(E) dated 5th December, 2008 and amended vide G.S.R 950(E) dated 3rd December, 2010, G.S.R 15(E) dated 12th January, 2011, G.S.R 756(E) dated 12th October, 2011, G.S.R 778(E) dated 16th December, 2013, G.S.R 26(E) dated 16th January, 2014 & G.S.R. 831(E) dated 21st November, 2014 (hereinafter referred to as the "Rules"), the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of four and more lane of the said section at the rate specified in column (2) of Table 1 below (hereinafter referred to as 'base rate') on the Type of Vehicles specified in Table 1 below, and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the date of commercial operation or

publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement;

TABLE 1

Type of vehicle	Base rate of fee per km. for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza, at the base rate mentioned in Table 1 above, for the distance specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s) (Design chainage)	Length (in km) for which Fee is payable		Rate at which fee is payable
	At present (Till issue of Completion Certificate for tolling of Guna Bypass)	**After completion of 4-laning of developed section* (from the date of issue of Completion Certificate for tolling of Guna Bypass)**	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
At km. 22.930 (Existing km. 258.000) near Purankhedi village in District Shivpuri	72.210 (excluding Length of Bypasses)	84.600 (excluding Length of Bypasses)	

* After completion of 4-laning of 'Developed section' i.e. 4-laning of existing two lane Guna Bypass section km. 319.700 to km. 332.100 (Design Chainage km. 85.310 to km. 97.700) of NH-3 as the provisions of the said agreement.

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypass(es) at the following Toll Plaza at one and half times of the base rate mentioned in Table 1 above for the length of bypass(es) specified for such Toll Plaza:

Location of Toll Plaza(s) (Design chainage)	Design Chainages		Length of bypass (in km) for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
	Taking off at	Merging at			
At km. 22.930 (Existing km. 258.000) near Purankhedi village in District Shivpuri	13.300 (Existing km. 249.400)	19.200 (Existing km. 254.200)	5.900	Kolaras Bypass	150% of the base rates mentioned in Table-1 above
	28.150 (Existing km. 263.300)	30.950 (Existing km. 265.600)	2.800	Lukwasa Bypass	
	42.900 (Existing km. 277.600)	47.300 (Existing km. 281.800)	4.400	Badarwas Bypass	
		Total	**13.100**		

3. The rate of monthly pass for local personal traffic is Rs. 255.00 (Rupees Two Hundred and Fifty Five Only) for the year 2018-19 which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

4. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys or more	Fifty or more	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. A mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the Rules, shall not be permitted to use the National Highway for crossing the Toll plaza until the excess load has been removed from such mechanical vehicle. The driver or owner or a person in-charge of such overloaded mechanical vehicle shall be liable to pay fee, for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the Toll collecting agency, equal to ten times of the fee applicable to such category of mechanical vehicles under the rules.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.

9. Based on the base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table 1 & Table 2 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority. The same shall be got published by the Authority in at least one newspaper, each in English and vernacular language through the Concessionaire and thereafter revised annually in accordance with the Rule 5 of the said Rules and provisions of the Concession Agreement and will be published; provided, however, that such revision shall not be effected until a period of 6 (six) months from the date of preceding revision of fee.

[F. No. NHAI/13013/481/12-13/CMD-CO/GC-Shivpuri-Guna Section/BOT (Toll)]

DAKSHITA DAS, Jt. Secy.

RAKESH SUKUL
Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.05.22 18:07:40 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.